न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 01/2013/अजमेर (2013/00006)

सत्यनारायण कुमावत पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूलाल कुमावत बस्सी मौहल्ला पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट अजमेर आदेश कमांक न्याय/शस्त्र/
2012/3074 दिंनाक 22.2.2012

उपस्थितः 1–श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक : 22.6.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने निर्धारित प्रपत्र आर्म्स नियम 51 भाग "अ" के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट ने स्वयं की रक्षा के लिए रिवाल्वर हथियार रखने हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का अनुरोध किया। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में तहसीलदार, पीसांगन, उप वन संरक्षक वन विभाग अजमेर, जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एवं पुलिस अधीक्षक राज्य विशेष शाखा सुरक्षा सीआईडी क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने बाबत अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रिपोर्ट चाही संबंधित सभी अधिकारियो द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक को पुनः पत्र कमांक 5798 दिनांक 9–5–2010 के द्वारा सूचित किया कि वे गृह विभाग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31–3–2010 के अनुसार जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्र दिनांक 31–3–2010 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वर्णित बिन्दुओं की जांच किये बिना ही अपने पत्र कमांक 482 दिनांक 13–2–2012 से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अभिशंषा कर दी। उक्त

Scanned by CamScanner

पत्र के आधार पर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 22–2–2012 को आदेश पारित कर अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने का निर्णय लेकर उसको सूचना दी है। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक (राजकीय अभिभाषक) बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलांट को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 22–2–2012 की प्रथम जानकारी नवम्बर 2012 को तब हुई जब अपीलांट अपने आवेदन पत्र की जानकारी करने कलेक्ट्रेट, अजमेर के न्याय शाखा के कर्मचारियों से मिला तो उन्होंने बताया कि उनका आवेदन पत्र दिनांक 22–2–2012 को ही निरस्त कर दिया गया जिसकी सूचना जरिये डाक भिजवा दी गई थी। उक्त जानकारी के पश्चात अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त की जो दिनांक 13–12–2012 को प्राप्त हुई और तब अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर श्रीमान् के न्यायलय में पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 22–2–2012 न्याय, नियम व रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13(1) व 14 (3) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि लाईसेंस जारी करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जान आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से

Scanned by CamScanner

पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है जिसमें आवेदन पत्र को निरस्त करने के संबंध में कारणों का उल्लेख तक नहीं किया गया है। यह मात्र एक साधारण पत्र है जिसके द्वारा अपीलांट को सूचित किया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से प्राप्त रिपार्ट के आधार पर उनका लाईसेंस संबंधी प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है कोई विपरीत आदेश तो पारित नहीं किया गया है। लाईसेसिंग एथोरिटी केवल धारा 14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारणों के होने पर ही लाईसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते है। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 (1)(ख) के अन्तर्गत "यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स व एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी हो एवं विकृत चित्त का व्यक्ति हो तथा जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है"। उक्त आधार पर ही लाईसेन्स जारी करने से इन्कार किया जा सकता है। अपीलांट पर किसी भी न्यायालय या ऑथिरिटी ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाा रखा है। अपीलांट विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट में उक्त कारण मौजूद ही नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 22–2–2012 निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होनें यह भी तर्क दिया कि बी.गणेश प्रसाद बनाम राजस्व मण्डल तिरूअनंतपुरम (2005 Cr.L.J. 3178 केरला) में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " जब जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्रार्थी द्वारा फाईल किये गये आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक मात्र कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्ति जारी करने की अनुशंषा नहीं की। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन आवश्यक रूप से स्वयं अपनी मैरिट पर विचारित किया जाना होता है। इसे संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना चालिए और असंबंधित तथ्यों द्वारा मार्गदर्शित होने से बचना चालिए।" जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने केवल जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया है इसलिए माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित सिद्धान्तों के अनुसार पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट राजनीति से जुड़ा हुआ है और जब अपीलांट ने हथियार के लाईसेन्स के लिए वर्ष 2008 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तब अपीलांट ग्राम पंचायत पीसांगन में सरपंच पद पर कार्यरत था। इससे पूर्व भी अन्य पदों पर निर्वाचित होकर कार्य कर चुका है। अपीलांट के विरोधियों ने कई बार अपीलांट पर हमले किये। अपीलांट को जान का खतरा होने के कारण ही उन्होंने रिवाल्वर रखने के लिए लाईसेन्स जारी करने हेतु आवेदन किया था परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने पत्र कमांक 1122 दिनांक 24–7–2009 के द्वारा अपीलांट के नाम हथियार का लाईसेन्स जारी करने में काई आपत्ति नहीं का पत्र जिला मजिस्ट्रेट को भिजवाया परन्तु दूसरी रिपोर्ट में विपरीत रिपोर्ट भिजवाई गई जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने दूसरी रिपोर्ट को आधार मानकर विवादित आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

Scanned by CamScanner

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने पुलिस अधीक्षक से गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31–3–2010 के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट चाही थी कि किसी से जान का खतरा हो अथवा किसी ने किसी को धमकी दी हो तो उसकी जांच करवाकर रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा था परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक ने कोई जांच नहीं की तथा इस संबंध में कोई ऐसे दस्तावेज भी जिला मजिस्ट्रेट को नहीं भेजे गये। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में यह कारण नहीं दर्शाया है कि पब्लिक पीस के लिए लाईसेंस दिया जाना उचित नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लाईसेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कोई कारण ही अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश कमांक 3074 दिनांक 22–2–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के पत्र कमांक 482 दिनांक 13–2–2012 मे आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं कर इस बाबत आवेदक को सूचित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषका की एकपक्षीय बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रेषित कर तहसीलदार, पीसांगन, उप वन संरक्षक वन विभाग अजमेर, जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एवं पुलिस अधीक्षक राज्य विशेष शाखा सुरक्षा सीआईडी क्षैत्रीय कार्यालय जयपुर से अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रिपोर्ट चाही संबंधित सभी अधिकारियो द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक को हथियार रखने का लाईसेन्स दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से पुनः रिपोर्ट चाही जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा उल्लेखित किया है कि आवेदक के विरूद्ध कोई साबिका सजायाबी दर्ज नहीं है। चाल–चलन व चरित्र अच्छा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31–3–2010 द्वारा जारी नवीन आर्म्स नीति के नवीन आदेशानुसार प्रार्थी को ना ही किसी से कोई जान का खतरा है ना ही किसी ने जान से मारने की धमकी दी है ना ही आवेदक ने किसी के विरूद्ध थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट लिखवाई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13(1) व 14 (3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया साथ ही अपीलांट के विरूद्ध किसी भी थाने में कोई

Scanned by CamScanner

मुकदमा दर्ज नहीं है तथा न ही अपीलांट आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। अपीलांट ने स्वयं की रक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने भी अपनी पूर्व रिपोर्ट कमांक 1122 दिनांक 24–7–2009 में उल्लेखित किया है कि आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही दूसरी रिपोर्ट में भी ऐसा कोई गंभीर कारण अंकित नहीं किया है कि आवेदक को लाईसेन्स जारी नहीं किया जा सकता है। लाईसेसिंग एथोरिटी केवल धारा 14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारणों के होने पर ही लाईसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते है। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 (1)(ख) के अन्तर्गत "यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स व एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी हो एवं विकृत चित्त का व्यक्ति हो तथा जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है" उक्त आधार पर ही लाईसेन्स जारी करने से इन्कार किया जा सकता है। अपीलांट पर किसी भी न्यायालय या ऑथिरिटी ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाा रखा है। अपीलांट विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट में उक्त कारण मौजूद ही नहीं है तो बिना किसी कारण के जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में किन कारणों से आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरी राय में उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों की एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश कमांक/न्याय/शस्त्र/2012 / 3074 दिनांक 22.2.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का पुनः अवलोकन कर एवं अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner